उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-89/2017/3726/92-1-2017-131आरईएस/2008
लखनऊ: दिनांक: 27 अक्टूबर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय-ज्ञाप सं0-20/2017/489/92-1-2017-131आरईएस/2008, दिनांक 09 मार्च, 2017 द्वारा श्री राकेश कुमार जैन, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर अधिशासी अभियंता के पद पर बन्द लिफाफे के सापेक्ष स्थानापन्न रूप से पदोन्नति प्रदान की गयी थी। विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर वास्तविक रूप से उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष श्री राकेश कुमार जैन, स्थानापन्न अधिशासी अभियंता को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग वेतनमान रू0-15600-39100, ग्रेड पे-6600/-, वेतन बैण्ड-3, (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर नियमित रूप से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- श्री राकेश कुमार जैन को अनुमन्य वेतन/महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते शासन द्वारा समय- समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार देय होंगे।

3- उक्त पदोन्नति, मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका सं0-31120/2016 राशिमणि मिश्रा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका सं0-45(एसबी)/2017 योगेन्द्र नारायण चौधरी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी ।

4- अधिशासी अभियन्ता के पद पर मौलिक पदोन्नति के फलस्वरूप श्री राकेश कुमार जैन अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-89/2017/3726(1)/92-1-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
7- संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
9- कम्प्यूटर अंकन प्रति।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in